रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 16 मार्च, 2007/25 फाल्गुन, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 20 दिसम्बर, 2006

संख्या एफ0 डी0 एस0–बी0 (2)–2/2001.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में संयुक्त निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, वर्ग-I (राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवम् उपभोक्ता मामले विभाग, संयुक्त निदेशक, वर्ग–I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन एवं व्यावृत्तियां.—(1) अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस0 ए0 (3)–6/77 तारीख 7-2-1981 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश फूड एण्ड सप्लाईज डिपार्टमैंट संयुक्त निदेशक, फूड एण्ड सप्लाईज क्लास–I (गजेटिड) रैक्रूटमैंट एण्ड प्रमोशन रूल्ज, 1981 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

2940-राजपत्र/2006-16-3-2007—1,442. (11749) मूल्य : 1 रुपया ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम–2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

परमिन्द्र हीरा माथुर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव ।

उपाबन्ध––'क'

हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में संयुक्त निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	संयुक्त निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ।
2.	पदों की संख्या	2 (दो)
3.	वर्गीकरण	वर्ग–I (राजपत्रित)
4.	वेतनमान	10025–275–10300–340–12000–375–13500–400–15100 रुपए ।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं ।	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी ?	आयु : लागू नहीं । शैक्षणिक अर्हतायें : लागू नहीं ।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10.	भर्ती की पद्धति––भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले पदों की प्रतिशता ।	शत–प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में, श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा ।	उप–निदेशकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तद्र्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उप-निदेशकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका उप-निदेशक तथा जिला नियन्त्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले/अधीक्षक ग्रेड–I का संयुक्त रूप में 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तद्र्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके 6 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, जिसमें से 2 वर्ष का सेवाकाल उप-निदेशक के रूप में अवश्य होना चाहिए, दोनों के न होने पर अन्य सरकारी विभागों में से, समतुल्य वेतनमान से में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर ।
	(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति, से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तद्र्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तद्र्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
	परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तद्र्थ आधार पर की गई तद्र्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसार हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखें जायेंगे :
	परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :
	परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

		स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पद्धारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों, या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपपन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो । (2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तद्र्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तद्र्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी : परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ।	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।
13.	परिस्थितियां जिसमें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श लिया जाना है ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा	लागू नहीं ।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	लागू नहीं ।
16.	आरक्षण	सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17.	विभागीय परीक्षा	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।